

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/पीएसपी-सी/अ-2/60567/केमाशिबो./वो-1/2023-24/129

दिनांक:- 29-3-2023

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक अजमेर/अलवर/उदयपुर/जयपुर/झुन्झुनू/दौसा/भीलवाडा/सीकर/बाडमेर/
नागौर/चुरु/कोटा/हनुमानगढ/चित्तौडगढ

विषय: शैक्षिक सत्र 2023-24 में गैर सरकारी विद्यालयों को CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता हेतु NOC जारी किये जाने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये गये अनापति प्रमाण पत्र के आवेदन के संबंध में निम्न गैर सरकारी विद्यालयों को सूचित करावे कि उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि का सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम का डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) तत्काल निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करावे, ताकि उक्त विद्यालयों को संबंधित अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके:-

क्र.स.	जिला	विद्यालय का नाम	आवेदन क्रमांक	जारी एनओसी का कक्षा स्तर	एनओसी शुल्क	शिथिलन शुल्क
1	सीकर	जेनिथ इन्टरनेशनल स्कूल अजीतगढ़	42202	मावि	75000	-
2	उदयपुर	केसल पार्क स्कूल	42728	उप्रावि	60000	-
3	भीलवाडा	यूरो अकेडमी, भीलवाडा	43125	उप्रावि	60000	-
4	अजमेर	आर्यभट्ट वर्ल्ड सी0सै0 स्कूल, चाचिय	42257	उमावि	75000	-
5	अलवर	नॉलेज सिटी झारखेडा किशनगढ-बास, अलवर	42405	उप्रावि	60000	-
6	दौसा	सन्तायन एलिमेंट्री स्कूल लालसोट	42222	उप्रावि	60000	-
7	अलवर	लक्ष्मणगढ पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ	42369	मावि	75000	-
8	झुन्झुनू	सेन्ट्रल चिल्ड्रन एकेडमी	43831	उमावि	75000	-
9	बाडमेर	सेन्ट्रल एकेडमी बाडमेर	42481	मावि	75000	-
10	अलवर	ज्ञानदान ग्लोबल स्कुल अलवर	42590	उप्रावि	60000	-
11	दौसा	प.नवल किशोर शर्मा स्कूल	43000	मावि	75000	-
12	झुन्झुनू	श्री आर के एकेडमी बिसाउ	42441	उप्रावि	60000	-
13	जयपुर	मयूर स्कूल जयपुर	42634	उप्रावि	60000	-
14	नागौर	मयूर इन्टरनेशनल स्कूल डेगाना	42219	उप्रावि	60000	-
15	चित्तौडगढ	एम एकेडमी	42205	मावि	75000	-
16	जयपुर	जयेश इन्टरनेशनल स्कूल	42767	उप्रावि	60000	-
17	हनुमानगढ	संस्कार इन्टरनेशनल स्कूल नोहर	42230	मावि	75000	-
18	कोटा	एम.वी.आई उमावि	42256	उमावि	75000	-
19	चुरु	बेलमौउट हाई स्कूल, थैलासर	42215	उप्रावि	60000	-

जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Sunta Chawla
Designation: District Education
Officer

Date: 2023.03.29 19:24:58 IST

Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-2 /60567 /के. मा. शि. बो./2023-24/...../64-165

दिनांक: 31/03/23

TO

विद्यालय का नाम :- zenith international school (P55969)

विद्यालय का वर्तमान पता :- neem ka thana road

संस्था का नाम :- SETH KESHAR MAL SHIKSHA SAMITI

आवेदन क्रमांक :-42202

From

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

एनओसी कोड:- RJSKR32732

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2023-24 के लिए सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.इ /सीएआईई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय zenith international school (P55969) neem ka thana road को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था SETH KESHAR MAL SHIKSHA SAMITI के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय zenith international school (P55969) को शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	zenith international school (P55969)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	neem ka thana road
गांव/शहर -	AJEETGARH
तहसील/कस्बा -	AJEETGARH
मान्यता कोड -	RJSKR32732
विद्यालय का पीएसपी कोड	P55969

नोट :NAC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रमाण-पत्र

सत्र 2023-24 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प.14(8)शिक्षा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2023-24 के लिए ही मान्य होगा
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालवाहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कूलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्रदत्त स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाईल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनो के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	SIKAR	ब्लॉक	AJEETGARH
विद्यालय का नाम	zenith international school (P55969)		
संबंधता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2023-24	माध्यम	English
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Secondary (1-10)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Secondary (1-10)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबंधता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled



he

निदेशक

आई.एस

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।